भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या * 260

29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

बुनकरों को ऋण माफी

***260.** श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों के ऋण माफी की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा बुनकरों के माफ किये गये ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जरुरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ड.) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

<u>दिनांक 29.8 2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *260 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।</u>

(क) और (ख): सरकार ने 3884 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 24.11.2011 को "हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार तथा पुनर्गठन पैकेज" अनुमोदित किया है। इस परिव्यय में से भारत सरकार का हिस्सा 3137 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 747 करोड़ रुपये है। इस पैकेज का उद्देश्य अर्थक्षम और संभावित रुप से अर्थक्षम हथकरघा सहकारी सोसाइटियों के संबंध में दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार अतिदेय राशि और हथकरघा के प्रयोजन से व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों के ऋणों को माफ करना तथा 3**%** की दर से ब्याज परिदान व 3 वर्ष के लिए ऋण गारंटी के साथ रियायती ब्याज दरों पर नए ऋण प्रदान करना है । 3884 करोड़ रुपये में से 3521 करोड़ रुपये ऋण की माफी और पुनर्पूंजीकरण के लिए**,** 118 करोड़ रुपये सहकारी सोसाइटियों के सुदृढ़ीकरण व उनके कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए**,** 205 करोड़ रुपये ऋण गारंटी के साथ 3**%** ब्याज सब्सिडी के लिए तथा 40 करोड़ रुपये कार्यान्वयन लागत के लिए हैं ।

(ग): दिनांक 24.8.2012 को 140.57 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 10 करोड़ रुपये आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (एपीएससीओबी) को तथा 9.62 करोड़ रुपये केरल, उत्तराखंड व गुजरात की सहकारी सोसाइटियों को जारी किए गए थे ।

(घ) और (ड.): ऋण माफ करने और नए ऋण जारी करने के लिए वित्तीय पैकेज के अंतर्गत किए जाने वाले प्रारंभिक उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(i) प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियां तथा राज्य स्तरीय शीर्ष सोसाइटियां "अर्थक्षम" और "संभावित रुप से अर्थक्षम" सोसाइटियों की अनुलग्नक -1 में दी गई परिभाषा के अनुसार पात्र होने के लिए अर्थक्षम/संभावित रुप से अर्थक्षम होनी चाहिए ।

(ii) व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों के मामले में, माफ किए जाने वाला ऋण वास्तविक हथकरघा बुनकरों द्वारा हथकरघा बुनाई के प्रयोजन के लिए दिनांक 31.3.2010 तक लिया गया होना चाहिए, जो प्रति व्यक्तिगत लाभार्थी ऋण माफी के लिए 50,000 रुपये की समग्र अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा ।

(iii) राज्य सरकारें निम्नलिखित हिस्सेदारी पद्धति में योजना में अपने हिस्से के लिए प्रावधान करने के लिए सहमत हों:-

(iv)

क्र. सं.	लाभार्थी	सामान्य श्रेणी राज्य (केन्द्र: राज्य)	विशेष श्रेणी राज्य (केन्द्र : राज्य)
(i)	राज्य स्तरीय शीर्ष सोसाइटियां	75 : 25	90 : 10
(ii)	प्राथमिक हथकरघा सहकारी सोसाइटियां	80 : 20	90 : 10
(iii)	व्यक्तिगत बुनकर/स्वयं सहायता समूह आदि	80 : 20	90 : 10

(v) राज्य सरकारों को वित्त वर्ष 2011-12 तक अपनी सभी हथकरघा सोसाइटियों की लेखा परीक्षा पूरी करनी होगी और विशेष लेखा परीक्षा द्वारा पुन: पुष्टि कराने के लिए नाबार्ड को ऋण माफी के लिए पात्र सोसाइटियों की सूची प्रस्तुत करनी होगी ।

(vi) बैंक योजना में शामिल होने के लिए सहमत हों क्योंकि उन्हें अपने ब्याज की 75% राशि तथा 100% दंड ब्याज, यदि कोई हो, को माफ करना होगा तथा वे लाभार्थियों को नए ऋण प्रदान करने को भी सहमत हों ।

प्रारंभिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं जिनके बाद प्रगति में तेजी आने की संभावना है ।

(क) राष्ट्रीय कार्यान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा समिति (एनआईएमआरसी) की सिफारिशों के आधार पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से जरूरतमंद बुनकरों और उनकी सहकारी सोसाइटियों को शामिल करने के लिए संभावित रूप से अर्थक्षम सहकारी सोसाइटियों के लिए पात्रता मानदंडों में छूट प्रदान की गई है । छूट प्रदत्त मानदंड अनुलग्नक -I में दिए गए हैं ।

(ख) राज्य सरकार के विभागों और हथकरघा बुनकरों को योजना के अंतर्गत लाभों और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए

हथकरघा क्लस्टरों में देश भर से 672 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं ।

(ग) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके 20 राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता प्राप्त की गई है ।

(घ) 17 राज्य सरकारों से बजट प्रावधान की प्रक्रिया प्राप्त की गई है और वास्तविक रूप से 4 राज्य सरकारों ने वित्त प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्रवाई की है ।

(ङ) 28 शीर्ष बुनकर सहकारी सोसाइटियों और 7277 प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के लिए राज्यों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा पूरी की गई है । नाबार्ड द्वारा 8 शीर्ष और 1972 प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियों के लिए विशेष लेखा परीक्षा पूरी की गई है ।

(च) 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 31 राज्य सहकारी बैंक योजना में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं और उनकी शाखाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।

"पुनरुद्धार, सुधार तथा पुनर्गठन पैकेज " के अलावा, सरकार ने दिसम्बर, 2011 में हथकरघा क्षेत्र के लिए व्यापक पैकेज नामक एक योजना भी आरंभ की है । इस पैकेज का उद्देश्य 2362 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हथकरघा बुनकरों के लिए रियायती ऋण और सस्ते यार्न की दो महत्वपूर्ण जरुरतों को पूरा करना है । ये ऋण संबंधी हस्तक्षेप एकीकृत हथकरघा विकास योजना के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं और ये हस्तक्षेप हैं (i) बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी करना (ii) स्वीकृत किए गए नए ऋणों पर 3 वर्षों के लिए 3% की दर से ब्याज परिदान (iii) 4200/-रुपये प्रति व्यक्तिगत बुनकर की दर से मार्जिन धनराशि सहायता (लेकिन सहकारी सोसाइटियों के लिए नहीं) तथा (iv) 3 वर्षों के लिए ऋण गारंटी । सभी हथकरघा बुनकर और उनकी सहकारी सोसाइटियां, जो ऋण माफी के लिए पैकेज के अंतर्गत शामिल नहीं है , नए ऋणों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं । बुनकरों को योजना की जानकारी देने के लिए और साथ ही बुनकर क्रेडिट कार्ड (डब्ल्यूसीसी) जारी करने के लिए बुनकरों से आवेदन प्राप्त करने के लिए शिविर लगाए गए थे और 2012-13 के लिए 1.60 लाख बुनकर क्रेडिट कार्ड की तुलना में 22.8.2012 तक क्रेडिट कार्ड शिविरों में बुनकरों से 3,14,758 आवेदन प्राप्त हुए हैं । 24 राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंको द्वारा 3244 बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं , जिनमें 568 .50 लाख रुपये के ऋणों की स्वीकृति और 376.82 लाख रुपये का संवितरण किया गया है ।

अनुलग्नक-I

दिनांक 29 .8.2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 260 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

बुनकरों की " अर्थक्षम" और " संभावित रुप से अर्थक्षम"सहकारी समितियों की परिभाषा

(क) **"अर्थक्षम" सहकारी समितियां :**

- विगत 3 वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग का स्तर, परिचालन के समतुल्य या आर्थिक स्तर से अधिक (लाभ-अलाभ स्तर) होना चाहिए ।
- निबल प्रयोज्य वित्तीय संसाधन (एनडीआर) और निबल संपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए ।
- विगत 3 वर्षों में बिक्री, औसत उत्पादन का कम से कम 75% तक होनी चाहिए।
- कार्यशील पूंजी/नकदी ऋण सीमा, वर्ष में कम से कम दो बार रोटेट की जानी चाहिए ।

(ख) **" संभावित रुप से अर्थक्षम" समितियां:**

- निबल संपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए लेकिन विगत तीन वर्षों में दो से अधिक वर्ष तक परिचालनात्मक हानियां नहीं होनी चाहिए । इस मानदंड में छूट दी गई और इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

  जिन प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) को 5 वर्षो में से 4 से अधिक वर्षों तक परिचालन हानि नहीं हुई (वर्तमान मानदंड 3 वर्षो में से 2 वर्ष है);

- विगत 3 वर्षों में बिक्री, औसत उत्पादन की कम से कम 50% तक होनी चाहिए ।
- कार्यशील पूंजी/नकदी ऋण सीमा, वर्ष में कम से कम एक बार रोटेट की जानी चाहिए । इस मानदंड में छूट दी गई है और इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

  कार्यशील पूंजी सीमा को रोटेट करने की शर्तो में उस सीमा तक छूट दी गई है कि समितियों को विगत दो वर्षों के लिए बैंक द्वारा नकद ऋण सीमा मंजूर नहीं की गई हो । इसी प्रकार, यदि विगत

दो वर्षों के लिए बैंक द्वारा समितियों को ऋण सीमा मंजूर नहीं की गई है और वे अपनी निधियों से इसका प्रचालन कर रही हैं तथा किसी अन्य बैंक के माध्यम से उत्पादन और बिक्री की जा रही है तो दूसरे बैंक खाते के खाता परिचालन पर विचार किया जा सकता है ।

(ग) **अलाभकारी समितियां** वे हैं जो उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती हैं ।

*****